<u>न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर</u>

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 114/2020 जिला भीलवाड़ा

निर्मल कुमार आत्मज श्री प्रभुलाल जी जैन् उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेड़ी तह0 बिजौलियां जिला भीलवाड़ा।

—अपीलांट

बनाम्

1. मदनलाल पुत्र श्री रूपलाल रेगर उम्र वयस्क निवासी पंचानपुरा तह0 बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा।

—रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा दिनांक 29.05.2015 जो अपील संख्या 03/2012 बउनवानी निर्मल कुमार बनाम मदनलाल।

उपस्थित अभिभाषकः—श्री रमेश चन्द सारस्वत्(अपीलांट अभि0)
रेस्पो0 अभिभाषकः— श्री बी0एल0वैष्णव
राजकीय अभिभाषकः—अनुपस्थित

<u>निर्णय</u> दिनांकः—29.03.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पचानपुरा तहसील बिजौलिया के आराजी नम्बर 340 में से 3 बीघा भूमि निर्मलकुमार पिता प्रभुलाल जैन निवासी चांद जी की खेड़ी को भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 01.06.1989 को भूमि आवंटित की गई थी। आवंटी द्वारा काश्त न करने से रेस्पोडेंट मदनलाल पिता रूपलाल रेगर निवासी पचानपुरा तहसील बिजौलिया द्वारा जिला कलक्टर न्यायालय भीलवाड़ा में एक प्रार्थना पत्र राजस्थान भू—राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भू—आवंटन नियम 14(4) में प्रस्तुत कर आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना की। उक्त प्रकरण 3/2015 के रूप में दर्ज किया जाकर बाद सुनवाई जिला कलक्टर टोंक भीलवाड़ा ने अपना निर्णय दिनांक 29.05.2015 से आवंटन शर्तो की पालना न करने एवं आवंटी का अन्य गावों का निवासी होने से आवंटी के पक्ष में किये गये भूमि आवंटन को अपास्त करते हुए भूमि को बिलानाम सिवायचक दर्ज करने का आदेश दिया गया। जिला कलक्टर भीलवाड़ा के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा तत्समय दिनांक 17.06.2015 को न्यायालय आरएए भीलवाड़ा में अपील प्रस्तुत की। जिसे 73/15 नम्बर पर दर्ज किया गया। दिनांक 17.12.2019 को राजस्व ग्रुप—6 विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.10.2019 के क्रम में क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा का होने से उक्त प्रकरण सुनवाई हेतु न्यायालय हाजा को प्राप्त हुआ है। जिसे दिनांक 26.02.2020 को 114/2020 नम्बर पर दर्ज किया जाकर सुनवाई आरम्भ की गई। अपील के आधार निम्न बताये गये है—

1. रेस्पोडेंट का कोई लोकस स्टैण्डर्ड नहीं है।

2. अपीलांट चांदजी की खेड़ी का निवासी [illegible] है तथा खातेदार काश्तकार [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:56 IST
Reason: SelfAttested

3. उसने कोई तथ्य नहीं छिपाये थे। ना ही कोई फ्रॉड या मिसरिप्रेन्टेशन किया गया। अंत में निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया जायें।

बहस सुनी गई। अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ के प्रस्तुत किया गया। बहस के दौरान वकील अपीलांट ने बताया कि विवादित भूमि आवंटित हुई थी। खातेदारी प्राप्त होने के बाद धारा 14(4) की कार्यवाही हुई थी। विपक्षी ने हमें सदभावी कृषक नहीं होना बताया तथा उसका यह कहना है कि हमने नियमों की पालना नहीं की है तथा विवादित भूमि पर उसका कब्जा है। 3 वर्ष के पश्चात हमें खातेदारी अधिकारी प्राप्त हो जाते है। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार आवंटी चांद जी की खेड़ी का ही निवासी है। सिर्फ मिसरिप्रजेंटेशन के आधार पर ही खातेदारी समाप्त की जा सकती है। वकील अपीलांट के अनुसार आवंटन हेतु भरे गये आवेदन पत्र में व्यवसाय का अंकन नहीं है। थोक व्यापारी होना मिसरिप्रजेंटेशन की श्रेणी में नहीं आता है। बहस के दौरान उन्होंने निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये–आरबीजे 2014 पेज 685, आरआरडी 2009 पेज 713 एवं 177, आरआरडी 2008 पेज 454, आरआरटी पार्ट–1 2007 पेज 18, आरबीजे 2018 पेज 618, डब्ल्यूएलसी/2016 पार्ट–2 राजस्थान पेज 170 डबल बेंच, आरबीजे 2011 राजस्थान हाइकोर्ट पेज 524 प्रस्तुत किये। बहस में वकील रेस्पोडेंट ने बताया कि आवंटन के बाद आवंटी द्वारा काश्त नहीं की गई है तथा नोटिफिकेशन रिट्रोस्पेक्टिव नही है।

सर्वप्रथम अपील के मियाद अवधि में होने बिन्दु बाबत पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 29.05.2015 का है तथा रेस्पोडेंट द्वारा दिनांक 17.06.2015 को तत्समय न्यायालय आरएए भीलवाड़ा में अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

अपीलाधीन निर्णय जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 3/2015 का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अन्य ग्राम का निवासी होने तथा काश्त न करने के आधार पर आवंटी का आवंटन खारिज किया है। अपीलांट अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत आरबीजे 2021 पेज 747 के अनुसार खातेदारी अधिकार मिलने के बाद आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। आरबीजे 2020 पेज 27 के अनुसार जब आवंटी को 34 वर्ष पूर्व भूमि आवंटित की जाकर 22 वर्ष पूर्व खातेदारी दी जा चुकी है। ऐसे में आवंटन निरस्त नहीं किया जा रहा है। आरबीजे 2019 पेज 77 के अनुसार जब खातेदारी दी जा चुकी हो तो 1970 के नियम के तहत आवंटन रद्द नही किया जा सकता है। जमाबंदी ग्राम पचानपुरा संवत 2068 के अनुसार खाता संख्या नया 81 का खातेदार निर्मलकुमार पिता प्रभुलाल जैन साकिन चांद जी की खेड़ी को बताया है। खसरा नम्बर 862 रकब 3 बीघा भूमि बताया है अर्थात अपीलांट संवत 2068 में खातेदार के रूप में दिखाई पड़ रहा है। आवंटन के लिए भरे गये फॉर्म में पटवारी द्वारा आवंटी को चांद जी की खेड़ी निवासी बताया है तथा आवंटी का व्यवसाय किराणे का थोक व्यापारी बताया है। अपीलांट आवंटी के खाते की भूमियों का विवरण भी पटवारी हल्का द्वारा फॉर्म में अंकित किया है। जिसमें उसके नेशनल शेयर में 3 बीघा 5 बिस्वा भूमि बतायी गयी है। सन् 1970 के नियम में संशोधन के बाद नियम 18(4) में निम्न प्रावधान जोड़े गये है। ऐसे सभी व्यक्तियों ने दिनांक 29.09.1999 के पूर्व भूमि आवंटित की गई हो तथा उनके द्वारा प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमि तथा द्वितीय वर्ष में शेष भूमि पर काश्त की गई हो तो उनका आवंटन निरस्त नहीं किया गया हो तो वे खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु पात्र होगें। अगर उनके द्वारा गत 3 वर्षों में लगातार कास्त की गई हो तो आवंटन की अन्य शर्तों की पालना की गई हों। अगर किसी आवंटी के द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये गये है, तो उसे नियम 14(4) में निरस्त नहीं किये जा सकते है। मगर उसे बेदखल किया जा सकता है यदि नियम 14(4) में बतायी गयी शर्तों से यह प्रकरण प्रभावित होता हो। क्योकि खातेदारी प्राप्त करने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Pathore
Date: 2023.08.08 10:24:56 IST
Reason: SelfAttested

बाद वह राजस्थन टिनेन्सी एक्ट के तहत सभी अधिकार प्राप्त कर लेता है। लक्ष्मणसिंह बनाम स्टेट आरआरडी 1980 पेज 661 के अनुसार नियमों में यह कहीं नहीं बताया गया है कि आवंटन के लिए सिर्फ स्थानीय व्यक्ति ही आवेदन करेगें। नियम 11(12) के अनुसार जब आवंटन के लिए सिर्फ एक ही प्रार्थना पत्र हो तो उसे भी मान्य किया गया है। इसलिए नॉनलॉकल व्यक्ति के आवंटन को फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में आवंटी द्वारा कोई फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं किया गया। उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे। मात्र अन्य गांव का निवासी होने से उसके पक्ष में किये गये आवंटन को निरस्त नही किया जा सकता है। जहां तक काश्त नहीं करने का विषय है। अधीनस्थ न्यायालय को दिनांक 29.09.1999 से 1970 के नियमों में संशोधन के बाद नियम 18(4) के तहत कार्यवाही करनी चाहिए थी। जो इनके द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया। अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा जिला कलक्टर भीलवाड़ा प्रकरण संख्या 3/2015 मदनलाल बनाम निर्मलकुमार एवं अन्य अन्तर्गत राजस्थान भू–आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ 1970 के नियम 14(4) के निर्णय दिनांक 29.05.2015 को अपास्त करते हुए पुनः नियमों के संदर्भ में संशोधित नियम 18(4) के संदर्भ में सुनवाई कर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 29.03.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.08.08 10:24:56 IST
Reason: SelfAttested